

आवास बदलने हेतु मूल वेतन का 10 एवं 20 प्रतिशत जमा धनराशि वापस लेने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम सी.पी.एस./ जी.पी.एफ. न०
2. पद नाम विभाग
3. जमा धनराशि का विवरण
- (अ) कॅश रसीद सं० (ख) दिनांक
- (ग) धनराशि रू० (घ) मोबा० न०

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त धनराशि, जो आवास बदलने हेतु जमा की थी, के विरुद्ध अभी तक आवास परिवर्तन नहीं किया है और न ही मैं भविष्य में आवास बदलने का इच्छुक हूँ। अतः मेरे द्वारा उक्त जमा धनराशि वापस करने का कष्ट करें।

दिनांक:

विभागाध्यक्ष की संस्तुति एवं मुहर

आवेदक का पूरा नाम :
पदनाम :
विभाग :
मोबा० न० :

परिसम्पत्ति कार्यालय द्वारा भरा जायेगा।

परिसम्पत्ति अधिकारी

श्री/श्रीमती/डा० पदनाम विभाग

..... ने आवास बदलने हेतु अपने मूल वेतन का 10 एवं 20 प्रतिशत रू० कॅश रसीद सं०

..... दिनांक द्वारा जमा किया था जिसकी प्रविष्टि 10 एवं 20 प्रतिशत जमा पंजिका के पृष्ठ सं० कम सं० पर है जिसके विरुद्ध इन्हें अभी तक कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है।

अतः संदर्भित धनराशि श्री/श्रीमती/डा० को वापस करने का कष्ट करें।

फोरमैन (परिसम्पत्ति)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/डा० पदनाम
..... ने कैश रसीद सं० दिनांक द्वारा रू०
विश्वविद्यालय कोष में जमा किया, जिसे भारतीय स्टेट बैंक में खाता सं० में कुल धनराशि.....
के साथ दिनांक को जमा की गयी थी जिसकी प्रविष्टि डे बुक के पृष्ठ सं० कम सं०
पर की गयी है।

लेखाकार

परिसम्पत्ति अधिकारी

कार्यालय परिसम्पत्ति अधिकारी

पत्रांक: इस्टेट /

दिनांक:

नियंत्रक

श्री/श्रीमती/डा०

पदनाम

विभाग

..... द्वारा आवास बदलने के लिए कैश रसीद सं० दिनांक
के द्वारा रू० जमा किया गया था जिसे वापस करने हेतु संस्तुति की जाती है कृपया उसे वापस करने की
कृपा करें।

परिसम्पत्ति अधिकारी